APPOINTMENT TO THE POSITION OF VICE-CHANCELLOR

INDIRA KALA SANGEET VISHWAVIDYALAYA, KHAIRAGARH (CHHATTISGARH)

Hon'ble Governor of Chhattisgarh and Kuladhipati of Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Khairagarh has constituted a Committee, under Section 12 (2) of the Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 to recommend a panel of suitable persons for being considered by him for appointment as Kulpati (Vice-Chancellor) of the Vishwavidyalaya.

On behalf of the Committee, applications are invited from distinguished academician in the relevant field satisfying the requirements as laid down in para 7.3.0 of the University Grants Commission Regulation No. F.1-2/2009 (EC/PS) V(i) Vol-II dated 13th June, 2013 under Section 26 (1) (e) (g) of the UGC Act, 1956 [published in the Gazette of India, July 24, 2013 (Shravana 2, 1935)], for being considered by the Committee for inclusion in the panel referred to above.

The maximum tenure for the post of Vice Chancellor is 4 (Four) years, or up to the age of 65 (Sixty Five) years, whichever is earlier. Application in three copies, with resume, and containing names of referees, details of relevant academic, research and admininstrative experiences, and three copies of recent passport size colour photograph, should reach the addressee indicated below, by speed post or courier, on or before 31.03.2015, superscribing the name of the post and name of the Vishwavidyalaya on the envelope. The application should also be accompanied by a brief note, not exceeding 500 words, on why the applicant considers himself / herself suitable for the position.

Selection by the Committee for preparation of the panel may not be limited to the applications received in response to this advertisement, and the Committee reserves the right to consider any other eligible person(s) or to invite such other person(s) as it considers appropriate, from higher educational Institutions of repute.

Under Secretary to Governor
Secretariat Governor Chhattisgarh
Raj Bhavan, Raipur (Chhattisgarh)
PIN - 492 001.

Under Secretary to Governor

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़) में कुलपति के पद पर नियुक्ति

छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ द्वारा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2005 की धारा 12(2) के तहत विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के पेनल की अनुशंसा हेतु समिति का गठन किया गया है ।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले पेनल में सम्मिलित करने के लिए, संबंधित क्षेत्र (relevant field)से ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेग्युलेशन क्रमांक एफ 1–2/2009(EC/PS) V(i) Vol-II, दिनांक 13 जून, 2013 के पैरा 7.3.0 {विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 26(1)(e)(g) के अंतर्गत भारत सरकार का राजपत्र 24 जुलाई, 2013 (श्रावण 2, 1935) में प्रकाशित} के अनुसार वांछित अर्हता को पूर्ण करते हो, समिति की ओर से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

कुलपति का कार्यकाल 4(चार) वर्ष या 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, होगा । आवेदन पत्र 3 प्रतियों में, बायोडाटा सहित जिसमें शैक्षणिक, शोध एवं प्रशासनिक अनुभव के अभिलेख (3 प्रतियों में) और नवीनतम 3 रंगीन फोटोग्राफ सम्मिलित करते हुए स्पीड पोस्ट/कुरियर के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के पते पर दिनांक 31.03.2015 या इसके पूर्व लिफाफे में जिस पर पदनाम, विश्वविद्यालय का नाम अंकित हो, भेजना आवश्यक है । आवेदन पत्र के साथ एक संक्षिप्त नोट, जो 500 शब्दों से अधिक न हो जिसमें आवेदक उक्त पद के लिए अपने आपको क्यों उपयुक्त समझते हैं, भी संलग्न करना होगा ।

समिति पेनल अनुशंसित करने के लिए इस विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही विचार करने के लिए बाध्य नहीं है और वह इसके अतिरिक्त भी अन्य योग्य व्यक्तियों जो इस पद के लिये उच्च शैक्षणिक योग्यता और ख्यातिनाम संस्था से सम्बद्ध हों, को बुलाने और उनके चयन पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है ।

राज्यपाल के अवर सचिव
राजभवन,
रायपुर (छत्तीसगढ़)
पिन– 492001

राज्यपाल के अवर सचिव